भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1741

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है।)

विदेशी पूंजी निवेश

1741. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में विदेशी पूंजी निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान रूस द्वारा देश में वर्ष-वार और अधिक विदेशी पूंजी निवेश किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश में विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सूचित किया गया कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह, जिसमें इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है, निम्नानुसार है:

भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
वित्त वर्ष 2021-22	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर)**
84,835	71,355	71,279	62,483

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का निवल अंतर्वाह निम्नानुसार है:

भारत में एफपीआई निवल अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
वित्त वर्ष 2021-22	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25 (05 मार्च 2025 तक)**
-16,017	-5,510	41,043	-1,683

(ख) और (ग): विगत तीन वर्षों के दौरान रूस से भारत में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह निम्नानुसार है:

रूस से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)			
वित्त वर्ष 2021-22	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर)**
7.50	8.82	5.16	18.45

विगत तीन वर्षों के दौरान रूस से एफपीआई निवेश का विवरण निम्नानुसार है:

रूस से एफपीआई अंतर्वाह का विवरण				
वित्त वर्ष	**रूस से एफपीआई की संख्या**	**कुल अंतर्वाह (भारतीय करोड़ रुपये में)**	**कुल बहिर्वाह (भारतीय करोड़ रुपये में)**	**निवल निवेश (भारतीय करोड़ रुपये में)**
2021-22	-	-	-	-
2022-23	2	-	-	-
2023-24	10	0.94	0.10	0.83
2024-25 (जनवरी 2025 तक)	17	2.88	0.04	2.83

(घ) : अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसमें कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। सरकार ने रक्षा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, विनिर्माण और विकास, नागर विमानन, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियों, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, बीमा मध्यस्थ, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार आदि जैसे क्षेत्रों में कई परिवर्तनकारी एफडीआई सुधारों को लागू किया है। इसके अलावा, सरकार एफडीआई नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है और समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल केंद्र बना रहे।

एफपीआई अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में ऑन-बोर्डिंग और पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण द्वारा एफपीआई के लिए कारोबारी सुगमता प्रदान करना, भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई को भाग लेने की अनुमति देना, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में स्थित सेबी पंजीकृत एफपीआई में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और निवासी भारतीय (आरआई) व्यक्तियों की भागीदारी को सक्षम बनाना और एफपीआई निवेश को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान करना शामिल है।

*****